

## फोर्टिफाइड राइस

स्रोत: पी.आई.बी

भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **PMGKAY** सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक **फोर्टिफाइड राइस का वितरण** जारी रखने को मंजूरी दी है।

- **फोर्टिफिकेशन:** फोर्टिफिकेशन का आशय खाद्य उत्पादों में ऐसे पोषक तत्व शामिल करने की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद नहीं होते हैं या अपर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं।
  - **राइस फोर्टिफिकेशन** हेतु या तो अनाज को सूक्ष्म पोषक तत्वों के मशिरण से लेपित किया जा सकता है या फरि सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चावल के दानों को साधारण चावल के साथ मशिरा किया जा सकता है।
  - फोर्टिफिकेशन **वशिव स्वास्थ्य संगठन के दशिया-नरिदेशों के अनुरूप है** और यह इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 65% आबादी द्वारा प्रतिदिन चावल का उपभोग किया जाता है।
  - भारत का राइस फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम वर्ष **2019** में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था तथा इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया है।
  - **झारखंड और महाराष्ट्र** जैसे राज्यों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है और इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आए हैं।
  - **PM-GKAY: PM-GKAY** का उद्देश्य **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए जा रहे 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा, अतिरिक्त 5 किलोग्राम अनाज (गेहूँ या चावल) को मुफ्त में उपलब्ध कराना है।
  - **सुरक्षा आश्वासन:** वैज्ञानिक प्रमाणों से पुष्टि होती है कि **फोर्टिफाइड राइस थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सुरक्षित है।**
- लेबलिंग को अद्यतन बनाना: समीक्षा में कोई सुरक्षा जोखिम नहीं पाए जाने के बाद फोर्टिफाइड राइस की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह की आवश्यकता को हटा दिया गया है। यह वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा FDA जैसे संगठनों द्वारा ऐसी सलाह को अनिवार्य नहीं किया गया है।
- वर्तमान में 18 देशों में राइस फोर्टिफिकेशन की अनुमति दी गई है।

और पढ़ें: [राइस फोर्टिफिकेशन](#)